फर्द अहकाम

न्यायालय [illegible] उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

[illegible] – [illegible]

मनोहर कंवर बनाम सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	[illegible]	प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किये जाने का अन्तर्गत धारा 88 के तहत पेश किया गया जो दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर वकील वादी को सूना गया तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि दावे के साथ समान दस्तावेज लगाये गये जवाब सरकार की आवश्यकता नही है क्योकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयों का नाम मनोजकंवर के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया के बाकि समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ में मनोहर कंवर अंकित है। केवल राजस्व जमाबंदी में मनोज कंवर पत्नि गोबिन्द सिंह दर्ज है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावें। वकील वादी के कथन पर गौर किया व दावा एवम् प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो प्रार्थीया का नाम प्रस्तुत दस्तावेजात राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आधार कार्ड, एवम् पेन्शन पी.पी.ओ में एवम स्वयं का व हनुवन्तसिह के शपथ पत्र में प्रार्थीया का नाम मनोहर कंवर नाम अकित है उक्त दस्तावेजात व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। दावा वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्रि किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख.न 339/1924, 340/1, 341/1, 342, 343, 372, 373, 374, 376/1920, 378/1922 किता 10 रकबा 3.21 है0 व ख.न 358 रकबा 0.13 है0 व ख.न 351 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम बाढमुरलीपुरा तहसील कोटखावदा में वादीगण का नाम मनोजकंवर पत्नि गोबिन्दसिह के बजाय वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में मनोहर कंवर पत्नि स्व गोबिन्द सिह सही अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)